दिनांक-28दिसंबर2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता की टीम ने 100 बोरी पानी पाउच किया जप्त , लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज जवाहर नगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कुल 5000 रूपए का अर्थदण्ड वसूलते हुए साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न दुकानों से 100 बोरी पानी पाउच जप्त किया गया! नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने, सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की। नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा विभिन्न व्यवसायियों से 5000 रूपए का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की दुकान का सामान फैलाकर सड़क बाधा न करे , प्रतिबंधित पानी पाउच, प्लास्टिक डिस्पोजल व कैरी बैग का विक्रय ना करें ! निगम की उड़नदस्ता टीम ने राकेश चाय एवं नाश्ता सेंटर से 11 बोरी पानी पाउच पकड़े जाने पर 1000 हजार रूपए, दिलीप जायसवाल वार्ड 11 पाॅलीथीन विक्रय करने पर 500 रूपए, देशी शराब दुकान के पास से 12 बोरी पानी पाउच पाए जाने पर 2000 हजार रूपए, देवांगन किराना स्टोर्स जवाहर नगर से 30 बोरी पानी पाउच, गेलार्ड डेली नीडस से 500 रूपए, राजेश मेडिकल स्टोर्स से 1000 रूपए वसूलने की कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी